भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5600

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में यूरिया का वितरण

5600. डॉ गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान उर्वरक के सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार यूरिया की आपूर्ति में कितनी कमी की सूचना मिली है;
(ख) विगत छह महीनों के दौरान सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में कितना आवंटन किया गया है और वहां यूरिया के भंडार की स्थिति और वितरण की स्थिति क्या है;
(ग) क्या राज्य प्राधिकारियों अथवा किसान संगठनों से कमी, राशनिंग अथवा मूल्य संबंधी समस्याओं के संबंध में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में यूरिया और अन्य उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में सभी उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग (डीओएफ) मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्यों में यूरिया की उपलब्धता चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान पर्याप्त बनी रही। उक्त मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री संबंधी राज्य-वार सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)- 1985 के अनुसार, राज्य सरकारों को उन व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, जो उर्वरकों की कालाबाज़ारी/अधिक कीमत पर बिक्री, जमाखोरी, विपथन में शामिल हैं। तदनुसार, इन मुद्दों के संबंध में विभाग को सीपीग्राम्स पोर्टल - जो शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन मंच है - के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायत, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 27.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.5600 के उत्तर के भाग (क) से (घ) से संबंधित है।

रबी 2025-26 (22.03.26 तक) के दौरान यूरिया की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया		
क्र.सं.	**राज्य**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00
2	आंध्र प्रदेश	**9.07**	**11.29**	**9.19**
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.01	0.00
4	असम	1.58	2.61	2.09
5	बिहार	13.22	16.66	14.23
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	2.86	4.65	2.38
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.14	0.11
11	गोवा	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	13.52	15.53	13.37
13	हरियाणा	11.37	14.19	11.45
14	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.59	0.42
15	जम्मू और कश्मीर	0.62	1.27	0.63
16	झारखंड	1.16	1.72	1.25
17	कर्नाटक	7.25	10.12	7.02
18	केरल	0.60	0.71	0.52
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	22.93	28.17	23.89
21	महाराष्ट्र	10.83	15.97	10.91
22	मणिपुर	0.09	0.09	0.07
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01
26	ओडिशा	1.78	3.24	1.75
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07
28	पंजाब	14.71	18.85	14.77
29	राजस्थान	14.91	20.23	16.62
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.27	7.42	6.10
32	तेलंगाना	9.94	11.76	10.92
33	त्रिपुरा	0.09	0.12	0.07
34	उत्तराखंड	0.97	1.29	1.00
35	उत्तर प्रदेश	39.42	50.45	39.24
36	पश्चिम बंगाल	7.96	11.96	8.31
	अखिल भारत	**191.72**	**249.17**	**196.42**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री